राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ9(ई)(1) (6) संविदा (पि–पेंशन) /अलेरो–III/12676-696 दिनांक 03.02.2012

आदेश संख्या 252/2011-12

वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश कमांक प02 (16) वित्त /राजस्व /2008 दि 18.01.2011, के अनुसरण में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों (शिक्षा, चिकित्सा, कोष एवं लेखा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) एवं किटीकल जिलों (डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, राजसमन्द, झालावाड, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर एवं सिरोही) में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर सेवा निवृत सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार को संविदा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस निदेशालय की समसंख्यक विज्ञप्ति कमांक 18166 दिनांक 31.01.2011 द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ,राष्ट्रदूत एवं इस निदेशालय की वेबसाईट पर प्रकाशन किया गया । उपर्युक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरान्त योग्य पाये गये सेवानिवृत्त कार्मिकों को वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र कमांक प02 (16) वित्त/राजस्व /2008 /पार्ट दिनांक 27.04.2011 एवं 31.01.2012 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर निम्न विवरणानुसार एवं शर्तों के अध्यधीन पूर्णतः अस्थायी आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	जन्मतिथि	65 वर्ष की आयु प्राप्त होने का दिनांक	पदस्थापन विभाग / कार्यालय का नाम	पद जिसके विरुद्ध पदस्थापन किया गया है ।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुश्री रेखा मोयल	AAO	14-01-1949	13-01-2014	उपकोष बायतू (बाडमेर)	STO	रिक्त पद पर
2	गिरधारी सिंह	AAO	06-03-1952	05-03-2017	उपकोष, धरियावद (प्रतापगढ)	STO	रिक्त पद पर
3.	इकबाल हुसैन	Actt.	15-08-1950	14-08-2015	जिला परिषद उदयपुर	Actt.	रिक्त पद पर
4.	ओम प्रकाश शर्मा	Actt.	08-10-1951	07-10-2016	उप निदेशक, आयुर्वेद, बीकानेर	Actt.	रिक्त पद पर
5.	शिवशंकर श्रीमाली	Actt.	16-09-1951	15-09-2016	पचायत समिति, पाली	Actt.	रिक्त पद पर
6.	मक्खन लाल शर्मा	Actt.	19-10-1951	18-10-2016	आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	Actt.	रिक्त पद पर
7.	विजय कुमार शर्मा	Jr.Actt.	15-03-1951	14-03-2016	जिला परिषद, नरेगा, टोंक	Jr.Actt.	रिक्त पद पर

उपर्युक्त नियुक्तियॉं निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी :–

1. संविदा कर्मचारी को संविदा उप मद के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश कमांक प0 2 (16)वित्त/राजस्व/2008/दिनांक 18.01.2011 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 152 (बी) –2 के अनुसार पे (–) पेंशन के आधार पर मासिक पारिश्रमिक देय होगा लेकिन जो राशि पारिश्रमिक इस आधार पर आयेगी वह नियत रहेगी उसमें आगामी वर्षो में किसी भी प्रकार की बढोतरी नहीं की जावेगी ।
2. संविदात्मक नियुक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी ।
3. यह है कि संतोष जनक सेवा नहीं पाये जाने पर एवं अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर 15 दिवस के नोटिस के आधार पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है ।
4. यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई रूप से अनुबन्ध के आधार पर होगी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तत्काल प्रभाव से सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।

5 संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन नियुक्त सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी से पद , पे एवं ग्रेड पे व पेंशन भुगतान आदेश के संबंध मे प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ही समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही करेगें।

6 अनुबन्ध पर नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व 100 रुपये के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न एनेक्चर बी के अनुसार अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा एवं राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें ।

7 सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में समेकित पारिश्रमिक के लिए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेगें ।

8 प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति पर 1/30 दिन का पारिश्रमिक काटा जायेगा ।

9 एक कलेण्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होगें, किन्तु प्रथम 6 माह में 5 आकस्मिक अवकाश देय होगें । इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।

संलग्नः— अनुबन्ध का प्रारूप

निदेशक

क्रमांकः—एफ4(iii)(1) (6) संविदा (पि–पेंशन) /अलेसे–III/12876-696 दिनांकः-- 02.02.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, टोंक
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...को भेजकर लेख है कि सेवानिवृत कर्मचारी की कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त आदेश संख्या के बिन्दु संख्या 5 " के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी के मूल दस्तावेजों यथा पी0पी0ओ0, एल0पी0सी0 , इत्यादि की पूर्ण जॉच करने के उपरांत कार्यग्रहण से पूर्व बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अनुबंध सम्पादित करावेगें ।
3. संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट) /कार्मिक–I (अलेसे–I/II) कार्या0 हाजा
4. कोषाधिकारी ....
5. श्री ....पता..
6. निजी सहायक निदेशक महोदय
7. विशेषाधिकारी कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)
8. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका/पदस्थापन सीट

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)